

211

87

13

माननीय राजस्व मंडल गवा लियर, मध्य प्रदेश शृंखला न्यायालय रीवा संभाग  
रीवा म०प०

296  
14.6.13



C.F. Rs. 30/-

अधिवक्ता श्रीरघुवंश  
शर्मा प्लेडर हाय  
जल्लुत शिव दिव  
14.06.13

R. 2895-II/13



निगरानी प्रकरण क्रमांक -----/2012-13

श्रीमती वीरध देवी पत्नी रामकुमार पटेल निवासी ग्राम हौदाबाध थाना  
अमिलिया तहसील सिहाबल, जिला सीधी म०प० ----- आबेदिका/निगरानीकर्ता  
कायम,

कलक माफ कोडे  
राजस्व मंडल, म०प०  
स्वामिनय

- 1- अरुण कुमार तनय कृष्ण प्रताप केवट निवासी ग्राम कौरौलीकला थाना अमिलिया तहसील सिहाबल, जिला सीधी म०प०
- 2- सुखलाल तनय नाथ केवट निवासी ग्राम कौरौलीकला थाना अमिलिया तहसील सिहाबल, जिला सीधी म०प०
- 3- लक्ष्मीदेवी पत्नी श्रीलाल केवट एवं पुत्री स्व० नाथ केवट निवासी ग्राम सलैया तहसील चुरहट, जिला सीधी म०प०
- 4- अमेरिका पत्नी हिन्दलाल पुत्री स्व० नाथ केवट निवासी ग्राम अतरैया तहसील सिहाबल, जिला सीधी म०प०
- 5- देवीदयाल तनय स्व० नाथ केवट निवासी ग्राम अतरैया तहसील सिहाबल जिला सीधी म०प० ----- अनाबेदक/उत्तरवादीगण

22-7-13

निगरानी बिस्व आदेश न्यायालय श्री अनिल खरे,  
आर. कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी म०प० प्रकरण  
क्रमांक 374/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश  
दिनांक 24.4.2013, पारित अन्तरगत धारा 50 म०प०  
धु राजस्व संहिता 1959

निगरानी अन्तरगत धारा 50 म०प० धु राजस्व संहिता  
1959

(87)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2895-II/13 जिला- सीधी

श्रीमती लीला देवी विरुद्ध अरुण कुमार केवट

(1)	(2)	(3)
16779-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... रघुवंश प्रसाद फेन अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला... सीधी... के प्रकरण क्रमांक... 374/निगरानी/2008-09... में पारित आदेश दिनांक... 24.04.13... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक... 29.03.19... को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	